अनुसूचित जाति-जनजाति महापंचायत

(स्थान : मानसरोवर ग्राउंड, शिप्रा पथ थाने के सामने, जयपुर, दिनांक :02 अप्रैल 2023)

पत्राचार का पता : 13-14, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

No. MAHAPANCHAYAT/36 दिनांक:- 02.04.2023

आदरणीय अशोक गहलोत जी,
माननीय मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर,

ज्ञापन

विषय: राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महा पंचायत 2 अप्रैल 2023 की मुख्य व अन्य मांगो पर राजस्थान सरकार द्वारा कार्यवाही करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विभिन्न संगठनों द्वारा वर्ष 2006 से अब तक सरकार को ज्ञापन दिये जाते रहे परन्तु अभी तक हमारी मांगो पर कोई कार्यवाही **नहीं होने के कारण जन आक्रोश व्यापत है परिणाम स्वरुप एससी/एसटी के जन मानस द्वारा विवश होकर** दिनांक 02.04.2023 को जयपुर में विशाल महापंचातय का आयोजन किया गया | राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की मांगों पर प्रदेश सरकार द्वारा सुनवाई नहीं करने के कारण महापंचायत द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किये गये है | हम सभी हमारी निम्मंलिखित मांगो को इस ज्ञापन के द्वारा प्रजातान्त्रिक एवं शांतिपूर्वक आपको अवगत करना चाहते है:-

01. **<u>भारत बंद 2018 एवं काकरी डूंगरी 2020 में पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमें वापिस लेना</u>** :- भारत बंद के दौरान राजस्थान में पुलिस द्वारा कई मुकदमे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध दर्ज किये गये जिनके प्रकरण वर्तमान में विभिन्न स्तर पर लंबित चल रहे हैं | कुल 322 प्रकरण दर्ज में से 11 प्रकरण तफ्तीश में पेंडिंग है, 129 प्रकरणों में चार्जशीट दायर की गयी उसमे से 15 प्रकरण में बरी हुए, 53 प्रकरण न्यायालयों में लंबित चल रहे हैं, एक प्रकरण का चालान न्यायालय में पेश करना बाकि है एवं 60 प्रकरण न्यायालयों से वापिस लिए गये तथा बाकि कुल 182 प्रकरणों में पुलिस जाँच के बाद अंतिम प्रतिवेदन दिया जा चुका है | इनमें से भी 122 प्रकरण में एफआर स्वीकृत हुई है एवं 60 प्रकरण अभी भी न्यायालयों में विचाराधीन हैं |

इसी प्रकार से कांकरी-डूंगरी राष्ट्रीय राज मार्ग उदयपुर-अहमदाबाद सितम्बर 2020 बंद के दोरान भी डूंगरपुर, बांसवाडा, उदयपुर जिलो के विभिन्न पुलिस थानों में कुल 63 एफआईआर दर्ज हुई थी | सरकार ने प्रकरणों पर विचार करके केस वापस लेने की बात कही थी लेकिन अभी 17 मामले सीआरपीसी (CrPC) की धारा 173 में जाँच लंबित चल रही है | 43 प्रकरणों में न्यायालयों में चालान पेश

हो चुकें हैं और 20 प्रकरणों में एफआर स्वीकृत हो चुकी है | इस बंद के समय दो लोगो की मृत्यु भी हुई थी |

चूँकि उपरोक्त दोनों बंद के समय अधिकांश प्रकरणों में विद्यार्थियों/लोगो के विरुध्द झूठें केस दर्ज किये गये थे जिससे विद्यार्थियों का भविष्य ख़राब हो रहा है | इस बारे में अनुसूचित जाति/जनजाति के विभिन्न संगठनों द्वारा राजस्थान सरकार को बार-बार अनुरोध किया जाता रहा है | सरकार द्वारा कुछ मुकदमे वापिस भी लिए गये है लेकिन अभी भी काफी मुकदमे वापिस लिए जाने हैं।

2. **<u>अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का 2-2 प्रतिशत आरक्षण राजकीय सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ाना :-</u>** जैसा कि आपको ज्ञात है कि राजस्थान में परिसीमन आयोग, भारत सरकार द्वारा 2005 में विधान सभा व लोकसभा के लिये 2001 की जनगणना के आधार पर विधानसभा व लोकसभा क्षेत्रो का पुन: परिसीमन करते हुये, राजनीतिक आरक्षण सविधान के अनुछेद 330 व 332 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान में विधान सभा की सीटें 1976 से 33 से 34 अनुसूचित जाति व 24 से 25 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की गयी तथा राजस्थान में 2008 के विधान सभा चुनाव में इसे लागू भी कर दिया गया है |

i. राजस्थान सरकार की राजकीय सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रतिशत नहीं बढ़ाया अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की 1961 की जनगणना के आधार पर 1971 में 16 व 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया जिसे 50 वर्षों से नही बढ़ाया गया है | जबकि इसके बाद देश में हर दशक यानि 1971, 1981, 1991, 2001 व 2011 में अब तक पाँच बार जनगणना हो चुकी है | वर्तमान में जनगणना का कार्य चल रहा है कोविड-19 बीमारी के कारण 2021 में जनगणना संपन्न नहीं हो सकी | अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात हर जनगणना में बढा है, इस कारण से 2021 की जनगणना में भी इनकी जनसंख्या का प्रतिशत बढेगा | परन्तु राजस्थान सरकार द्वारा इनकी जनसंख्या के अनुपात में राजकीय सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रतिशत नहीं बढ़ाया गया है |

II. राजस्थान में अनुसूचित जाति की 17.80 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति की 13.50 प्रतिशत की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार थी जो 2021 के बाद इनका 18% व 14% होना अपेक्षित है |

III. भारत सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का राजकीय सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत इनकी जनसंख्या जनगणना के अनुपात के अनुसार आरक्षण को बढ़ाया जाता रहा है | भारत सरकार ने 2001 की जनगणना के अनुसार भारत सरकार के कार्यालयों में राजस्थान सहित सभी राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रो में समूह "ग' व "घ" की स्थानिय में आरक्षण का प्रतिशत अंतिम बार दिनांक 5 जुलाई 2005 से बढ़ाया गया है| परंतु

राज्य सरकार द्वारा इसमें अभी तक 1975 के बाद राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रतिशत इनकी जनसंख्या के अनुपात में राजकीय सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रतिशत नहीं बढ़ाया गया है |

IV. राज्य सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रतिशत इसलिए नहीं बढ़ाया गया की माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयो के अनुसार कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती | यह स्थिति अब बदल चुकी है तथा **राजस्थान सरकार द्वारा 50% की सीमा से अधिक वर्तमान में कुल आरक्षण 64% का प्रावधान कर दिया गया है, जो निम्नासुर लागू किया जा रहा है:- अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग 21%, अत्याधिक पिछड़ा वर्ग के लिए 5% एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये 10% है** | अतः **राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों मे आरक्षण) अधिनियम 2008 (2009 अधिनियम संख्या 12)** में अनुसूचित जाति के लिए **18%** एवं अनुसूचित जनजाति के लिए **14%** आरक्षण बढ़ाने के लिए संशोधन करने की कृपा कर अनुग्रहित करेगे |

V. राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जाति का आरक्षण केवल 5 प्रतिशत है एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण केवल 45 प्रतिशत है जबकि इनकी जनसंख्या इससे अधिक है | जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुरूप टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का टीएसपी क्षेत्र की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुरूप बढ़ाया जाये | टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण लागू करते समय अगर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आरक्षित सीटें किसी कारण से खाली रहती है तो उन्हें नॉन टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों से भरी जाये ना कि टीएसपी क्षेत्र के अनारक्षित वर्ग के सदस्यों से |

3. **<u>संविधान संशोधन 77वां एवं 85वां की पालना कर आरक्षित कर्मचारियों/ अधिकारियो को स्वयं की वरियता के लाभ के साथ पदोन्नत होने पर अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित करना :-</u>** राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11 सितंबर 2011 के क्रियान्वयन के संदर्भ में भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 16 (4A) व (4B) संशोधित करते हुए पदोन्नति में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी/अधिकारियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा इसके साथ ही उन्हें वरीयता का अधिकार भी पदोन्नति के साथ मिलेगा | इसके बावजूद भी आरक्षित वर्ग के पदोन्नत किए जाने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों को अपनी स्वयं की वरीयता का लाभ नहीं दिया जा रहा | नियमों एवं संवैधानिक प्रावधानों का जो विवेचन गलत किया जा रहा है इसके साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों/ अधिकारियों को 17 जून 1995 के बाद होने वाली पदोन्नति में उन्हें पदोन्नति के साथ-साथ अपनी सीनियरिटी भी मिलेगी

लेकिन इन प्रावधानों को लागू करते वक्त इसकी स्पष्टता नहीं की गई इस कारण से इनकी विवेचना भी अलग-अलग की जा रही है | जिससे आरक्षित वर्ग के पदोन्नत अधिकारियों को अपनी स्वयं की वरीयता का लाभ नहीं मिल रहा तथा उन्हें अनारक्षित पदों के विरुद्ध नहीं माना जा रहा है | अनुसूचित जाति /जनजाति का आरक्षण का प्रतिशत पूरा होने के बाद भी वरिष्ठ अनुसूचित जाति/ जनजाति के कर्मचारी/ अधिकारियों को पदोन्नति उनकी स्वयं की वरिता के आधार पर देय होती है तथा ऐसे सभी पदोन्नत अनारक्षित पदों के विरुद्ध पदोन्नत होंगे । इस के लिए कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर दी गई राय /स्पष्टीकरण एवं **No. F. 7(I)DOP/A-II/99** दिंनाक 26.07.2017 परिपत्र पालना सुनिश्चित की जाये|

I. राज्य सरकार को पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग/परिवहन/आयोजना विभाग/ऊर्जा/पषुपालन/सांख्यिकी राजस्व विभाग व नगरीय विकास एवं अन्य विभागों को समय समय पर दिए गए मार्गदर्शन/राय के आधार पर उन सभी बिन्दूओं को समावेष करते हुए निम्न बिन्दुओं पर सामान्य परिपत्र जारी किया जाना चाहिए:-

a. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व पूर्ण है किन्तु उक्त वर्ग का कोई पात्र राजसेवक अपनी स्वयं की वरीयता (Own Merit) अर्थात सेवा में प्रवेष के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना पारिणामिक वरिष्ठता (Consequential Seniority) का लाभ लिये वरिष्ठ है तो उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जावेगा।

b. सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता देखते समय यह महत्वपूर्ण नही है कि वह आरक्षण का लाभ लेकर अथवा मैरिट/आरक्षण/बैकलॉग के आधार पर चयनित हुआ हो । यदि आरक्षण का लाभ लिए बिना चयनित कोई कार्मिक किसी एक स्तर पर पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिए भी हो, तो भी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत हो सकेगा बशर्ते कि आरक्षित श्रेणी में कोई पद रिक्त नही हो।

c. अनारक्षित श्रेणी के रोस्टर बिन्दुओं के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर आरक्षित श्रेणी के मेरिट के आधार पर पात्र अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जायेगा।

d. यदि किसी पद/संवर्ग में कुल पदों की संख्या 08 तक है और पदोन्नति के लिए उपलब्ध रोस्टर के अनुसार आरक्षित (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) वर्ग का रोस्टर बिन्दु उपलब्ध नही है और आरक्षित वर्ग का पात्र कार्मिक सेवा के प्रवेश के समय की वरिष्ठता के अनुसार वरिष्ठ है तो उसे केवल इस आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा कि रोस्टर क्रम में आरक्षित रिक्ति उपलब्ध नहीं है।

e. किसी भी संवर्ग में सर्वोच्च पद हेतु यदि किसी वर्ष में पात्र अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित श्रेणी की रिक्ति को अनारक्षित श्रेणी के पात्र अधिकारी से भर दिया जाता है तो बाद में आरक्षित श्रेणी का पात्र अधिकारी उपलब्ध होने पर आरक्षित श्रेणी के रोस्टर बिन्दु/रिक्ति का इन्तजार किए बिना जैसे ही रिक्ति (अनारक्षित) उपलब्ध होती है तो पहले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मेरिट के अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर उसकी पदोन्नती पर विचार किया जाए ताकि संवर्ग में आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व का समानुपात बना रहे | (पशुपालन विभाग दिनांक 26.07.2022)

II. राज्य कर्मियों की मूल वरिश्ता/ स्वयं की वरिष्ठता (own merit) के आधार पर पदोन्नति की जाति है परन्तु अभी गत महीनों में PHED, GWD, PLANNING, POLICE DEPTT, ENERGY DEPTT आदि अनेक विभागों में मूल वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन कर DPC की गई हैं. इन DPCs का रिव्यु कर वंचित कार्मिकों की पद्दोंन्ति की जाये |

III. राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के क्रम में 100 बिन्दुओं का रोस्टर पॉइंट निर्धारित करते हुए उसमे अनुसूचित जाति के लिए 16% तथा जन जाति के लिए 12% का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत सातवाँ पद अनुसूचित जाति व नोवा पद अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित होता है इन प्रावधानों का सामान्यतः L- Shape Roster (आठ पदों से तक वाले काडर में) आरक्षण के हितों के विपरीत उपयोग किया जाता है. वर्तमान में अनुसूचित यदि 16 व 12 % के हिसाब से गणना की जाये तो SC का 6वा बिन्दु व ST का 8वा बिन्दु होना निर्धारित चाहिए अतः L-Shape Roster में SC/ST के लिए इन वर्गों की जनसँख्या के अनुपात में निर्धारित किये जाएँ |

IV. माननिय सर्वोच्य न्यायलय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.11.2018 मै कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 को अवैध घोषित कर दिया गया है इस निर्णय की पालना में कार्मिक विभाग द्वारा इस अधिसूचना को तुरंत प्रत्याहारित (withdraw) किया जाये |

V. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में भी समस्त विभागों में SC/ST वर्ग के कार्मिकों की कार्य स्थल पर शिकायतों के निराकरण के लिए आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाये |

VI. आरक्षित वर्गों (SC/ST) के लिए सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध समस्त विभागों में रोस्टर पंजिकाओं (ROSTER REGISTERS) का समुचित रूप से संधारण करने, व इन पंजिकाओं को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने, बैकलॉग रिक्तियों को भरने की कारवाही सुनिश्चित की जाये |

VII. राज्य स्तर पर प्रभावी रूप से आरक्षण निति लागु करने के लिए कार्मिक विभाग में नया आरक्षण प्रकोष्ठ बनाया जाकर सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल ऑफिसर मनोनीत किये जावे ताकि आरक्षण नियमों की पालना सुनिश्चित की जा सके |

अनुसूचित जाति-जनजाति महापंचायत

(स्थान : मानसरोवर ग्राउंड, शिप्रा पथ थाने के सामने, जयपुर, दिनांक :02 अप्रैल 2023)

पत्राचार का पता : 13-14, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

---

4. **<u>राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग एवं राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देना</u>**
   भारत सरकार ने 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 व 338A के तहत किया जाता है। इससे पूर्व भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को 65वें संविधान संशोधन के अनुरूप संवैधानिक दर्जा दिया गया था | राजस्थान सरकार भी राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग व राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग दोनों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कार्यवाही की जाये |
5. **<u>राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों एवं सहायक प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर व प्रोफेसर पदों पर आरक्षण देना :-</u>** राजस्थान सरकार से अनुरोध करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जितने भी विश्वविद्यालय है उनमें आरक्षित वर्ग के कुलपति भी नियुक्त किए जाने चाहिए क्योकि अभी इनका प्रतिनिधित्व नगण्य है | विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुई पद आधारित रोस्टर के क्रियान्वयन कर के सहायक प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर व प्रोफेसर पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रतिनिधित्व एवं बैकलॉग रिक्तियों को भर के पूरा किया जाये । इसके साथ ही राजस्थान सरकार के सभी विभागों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चल रही बैकलॉग रिक्तियों को भी भरा जाये |
6. **<u>संविदा कर्मियों को संविदा नियम 4 के अंतर्गत पुनः अनुबंधित करते समय आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों को भरना :-</u>** दिनांक 11 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत संविदा कर्मियों को संविदा नियम 4 के अंतर्गत पुनः अनुबंधित करते समय आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों को भरा जाये |
7. **<u>अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) एवं अधिनियम में किये संशोधनो को क्रियान्वित करना :-</u>** यह अधिनियम 1990 से लागु हो गया था परन्तु राजस्थान सरकार ने 2011 में नियम बनाए गए एवं अधिनियम में 2015 व 2019 में संशोधन किए गए | इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रावधान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है जिसमे इस कानून के तहत दर्ज मुकदमों की समीक्षा की जाती है | इस कमेटी का पुनर गठन देरी से करना एवं इसकी नियमित बैठके नहीं होने के कारण इसके क्रियान्वयन से संबंधित आ रही समस्याओं के समाधान की गति धीमी रहती है | इन बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाये | जिन मुकदमों में अंतिम प्रतिवेदन पुलिस जांच के बाद बंद करने के निर्णय लिया जाता है यदि न्यायालय से भी अनुमोदित कर दिया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में कम से कम 5% को पुनः उनकी जांच की जानी चाहिए | इसके साथ ही जो अधिकारी इस कानून की पालना कराने में अपनी भूमिका अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध रहती है तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

अनुसूचित जाति-जनजाति महापंचायत

(स्थान : मानसरोवर ग्राउंड, शिप्रा पथ थाने के सामने, जयपुर, दिनांक :02 अप्रैल 2023)

पत्राचार का पता : 13-14, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

---

8. <u>वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन निवासी जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन संसाधन सम्बन्धी अधिकारों को मान्यता प्रधान करना :-</u> जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को जो वन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए निर्भर थे जिसमे आजीविका, निवास व कृषि कार्य से परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं तथा 2005 से पहले से काबिज है तो उन्हें इसका अधिकार पत्र दिया जाने का प्रावधान किया गया है | इस प्रक्रिया में ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर आवेदनों की जांच कर उन्हें स्वीकार करना या निरस्त करना है | इस प्रक्रिया में राजस्थान में कुल 62949 अंतिम रूप से राज्य स्तर पर वन अधिकार दावे खारिज किए जा चुके हैं | माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के निर्णय के अनुसार ऐसे लोगों को वन क्षेत्र से बेदखल किया जाए | इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास वन भूमि से आजीविका, खेती एवं निवास करने का कोई सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन खारिज हो जाते हैं जबकि वन क्षेत्र में कई पीढ़ियों से अपनी आजीविका, खेती एवं निवास करते आ रहे हैं | राजस्थान सरकार ऐसे प्रकरणों की पुनः जांच की जाये तथा इसके बाद भी यदि उनके आवेदन निरस्त होते है तो उन्हें सरकार विस्थापित करे।
9. राजकीय छात्रावासों (SC/ST) के विद्यार्थियों के आवासीय मेस भत्ते की देय राशी को राज्य में लागु पुलिस कर्मियों/नर्सिंग स्टाफ को देय मेस भत्ते के सामान किया जावे तथा जब जब भी इन कर्मियों के मेस भत्ते में वृधि की जाये उसी के अनुरूप SC/ST के आवासीय छात्रावासों के लिए भी सामानांतर वृधि की जाये.
10. सांसद/विधायक निधि कोष में अनुसूचित जाति, जन जाति वर्ग के लिए भी खर्चा उनकी जनसँख्या के अनुपात के अनुरूप में अनिवार्य करने के सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया जाये.
11. Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence Scheme 2021 (RGS) के अंतर्गत SC/ST वर्गों के आरक्षण का लाभ देने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जाएँ तथा अनुपातिक रूप से प्रति वर्ष ये लाभ दिया जाये |
12. आज़ादी के बाद से गोचर भूमि, चारागाह भूमि, गैर मुमकिन भूमि, पड़तल भूमि, जोहड़ आदि में कच्चे पक्के मकान बना कर रह रहे SC/ST के लोगों को आबादी भूमि में प्रवर्तित कर स्थाई रूप से काबिज़ कर पट्टे दिए जाएँ |
13. SC/ST की कृषि भूमियों पर गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनज़ाति के द्वारा किये गये कब्जों से मुक्त कराने के लिये सरकार विशेष अभियान चला कर उन्हें पुनः काबिज किये जाये |
14. कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014-15 में एससी/एसटी के 153 पदों की सक्षम स्वीकृति के बिना कटौती की गयी जिसकी बहाली की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद भी RPSC द्वारा परिणाम जारी नही कर रही है | सरकार को इस संबध में स्पष्ट निर्देश RPSC को प्रदान करते हुए परिणाम जारी करें एवं इन पदों पर अविलम्ब नियुक्तियां की जाये |

अनुसूचित जाति-जनजाति महापंचायत

(स्थान : मानसरोवर ग्राउंड, शिप्रा पथ थाने के सामने, जयपुर, दिनांक :02 अप्रैल 2023)

पत्राचार का पता : 13-14, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

15. RIICO द्वारा 4000 वर्ग मीटर तक के औधोगिक प्लोटो/जमीनों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रिजर्व प्राइस की आधी कीमत पर बिना ऑक्शन के ही आवंटित किये जाये |
16. RIICO द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को केवल छोटे प्लोट आवंटित करके आरक्षण के आंकड़े पुरे करने की कोशिश करता है जबकि आरक्षण कुल आवंटित जमीन के प्रतिशत के हिसाब से होना चाहिए |
17. राजस्थान सरकार द्वारा राजनितिक एवं विवेकाधिकार नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये | यह देखने में आया है कि नोटेरी पब्लिक एवं लोक अभियोजक आदि नियुक्त करते समय इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नही दिया जाता है | साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण स्पेशल न्यायालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिवक्ताओं को विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया जाये |
18. दिनांक 01.02.2022 को RSMSSB बोर्ड द्वारा कुल 10157 (9862- बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक व 295-सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक) पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिसमे मात्र 7069 अभ्यर्थी ही दस्तावेज सत्यापन हेतु उत्तीर्ण हुए है तथा विज्ञप्ति के अनुसार कुल पदो के दुगने अभ्यर्थियों की संख्या में 13245 अभ्यर्थियों को और चयनित किया जाना चाहिए था। अतः पेपर के स्तर GATE, ISRO, UGC-NET होने तथा भर्ती में रिक्त रह रहे पदो की संख्या को देखते हुए न्यूनतम अंको की बाध्यता (GEN, EWS, OBC, MBC-40% व SC/ST - 35%) में शिथिलता देकर कुल विज्ञापित 10157 पदो को भरा जाकर बेरोजगारों को राहत प्रदान करें |
19. राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों की नियुक्ति आंशिक, संविदा, मानदेय के आधार पर 28000 पदों की नियुक्ति की गयी जिसमे अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण नहीं दिया गया | यह पद अंशकालीन रूप से भरने की प्रक्रिया की गयी, परन्तु पिछले पांच वर्ष से इन पदों को निरंतर बढ़ाया जाता रहा है | इसमे आरक्षण लागू कर इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये |
20. मा बाडी योजना में कार्यरत समस्त शिक्षा सहयोगियों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (TAD) में शामिल करते हुए वरीयता के आधार पर कैडर निर्धारित कर संविदा सेवा नियम 2022 में सम्मलित कर नियमित किया जाये |
21. TSP/SCP के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान करते हुए उन्हें अनिवार्य रूप से खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाये |चूँकि वर्तमान में जनसंख्या के अनुपात में न तो बजट प्रावधान किये जा रहे हैं विभिन्न विभाग द्वारा न ही खर्च किया जा रहा है | इसलिए इसके लिए मोनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित किया जाये |
22. काली बाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत SC वर्ग की छात्राओं के लिए पात्रता में न्युनतम प्राप्तांक MBC वर्ग के प्राप्तांक (50%) के समान किया जाये. साथ ही वर्तमान मै SC वर्ग की छात्राओं को वर्तमान मै 8% स्कुटी आवंटन किया जा रहा है, इस स्कुटी आवंटन को SC वर्ग के जनसँख्या के अनुपात में

अनुसूचित जाति-जनजाति महापंचायत

(स्थान : मानसरोवर ग्राउंड, शिप्रा पथ थाने के सामने, जयपुर, दिनांक :02 अप्रैल 2023)

पत्राचार का पता : 13-14, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

वृधि कर 16% किया जावे एवं MBC वर्ग के समान ही SC वर्ग की छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशी दी जावे |

23. सफाई कर्मचारियों की भर्तियाँ आउटसोर्स न करके नियमित भर्तियों के द्वारा की जाये. किसी भी दशा में ठेका पद्दति पर ये कार्य नहीं करवाया जाये. तथा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 को प्रभावी रूप से लागु किया जाये |
24. राजस्थान राज्य में कक्षा 6 से 10 तक पाठ्यक्रम में डॉ भीमराव आंबेडकर के जीवन आदर्शों व उपलब्धियों पर आधारित एक कोर्स सम्मिलितकिया जाये
25. विद्या संबल योजना के अंतर्गत Guest Faculty पर की जा रही भर्ती में SC/ST वर्ग को निर्धारित आरक्षण दिया जाये |
26. सरकारी ठेके PWD, PHED, सिंचाई, तकनिकी, आबकारी, खाद्य विभाग आदि में सरकारी ठेके में एससी/एसटी को भी निर्धारित आरक्षण दिया जाये |

अतः उपरोक्त अनुसूचित जाति-जनजाति महापंचायत द्वारा मांग बिन्दुओं का अनुमोदित करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि राज्य सरकार त्वरित कार्यवाही कर हमें अनुग्रहित करेंगे |

सादर |

2.4.23

डॉ. जी.एस. सोमावत
अतिरिक्त संयोजक
अनुसूचित जाति-जनजाति महापंचायत

बी.एल.आर्य, IAS (R.)
संयोजक
अनुसूचित जाति-जनजाति महापंचायत